P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-11* July- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में गरीबी की समस्या एवं निवारण की योजनाएँ

Poverty Problem and Prevention Schemes in India

Paper Submission: 10/07/2020, Date of Acceptance: 20/07/2020, Date of Publication: 25/07/2020

रामकृत कुमार अरुण
सहायक प्रोफेसर,
वाणिज्य संकाय,
वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
महोबा (उ0प्र0) भारत

सारांश

भारत में गरीबी को कम करने के लिए जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लगातार राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। भारत को आर्थिक रूप से सम्पन्न करने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। गरीबी दूर करने के रास्ते में निम्न समस्याएँ आ रही हैं– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, समस्यायें सामने आ रही हैं। इन समस्याओं में सबसे विकट समस्या है आर्थिक असमानता एवं जनसंख्या का तीव्र गति से वृद्धि होना। अनेक प्रकार की योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलायी जा रही है। जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम 2 फरवरी 2006, स्वर्ग जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर 2000, इन्दिरा आवास योजना 1 दिसम्बर 1997, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2013, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993, अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000, जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000, अन्त्योदय योजना दिसम्बर 2000, बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना दिसम्बर 2001, जय प्रकाश नारायण रोजगार गारन्टी योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, आम आदमी बीमा योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, कौशल विकास योजना आदि।

To reduce poverty in India, since the time India has become independent, efforts have been made continuously by the state and central government. Constant efforts are being made to make India economically prosperous. The following problems are coming in the way of poverty alleviation - economic, social, political, geographical, problems are coming out. The most pressing of these problems is economic inequality and rapid growth of population. Many types of schemes are being run jointly by the Central and State Government. Such as Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act 2 February 2006, Swarg Jayanti Gram Swarozgar Yojana 1 April 1999, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna 25 December 2000, Indira Awas Yojna 1 December 1997, National Urban Livelihood Mission 2013, Prime Minister Rozgar Yojana 2 October 1993, Annapurna Scheme 1 April 2000, Janashree Insurance Scheme 10 August 2000, Antyodaya Scheme December 2000, Balmiki Ambedkar Awas Yojana December 2001, Jai Prakash Narayan Employment Guarantee Scheme, Senior Citizen Savings Scheme, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, Aam Aadmi Bima Yojana, Inda Gandhi National Old Age Pension Scheme, Food Security Scheme, Skill Development Scheme etc.

मुख्य शब्द : राजनीतिज्ञ, सामजसुधारक, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, न्यूनतम भरण–पोषण, स्वास्थ्य, आधारभूत, कैलोरी, अपेक्षाकृत, समान्यतया, उपभोग, उपभोक्ता, (N.S.S.O.) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, निर्धनता, अखिल भारतीय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक इच्छाशक्ति, विजन:2020 फॉर इण्डिया, सर्वांगीण, उन्मूलन, युद्ध स्तर।

Politician, social reformer, absolute poverty, relative poverty, minimum maintenance, health, basic, calories, relatively, generally, consumption, consumer, (sampled) National Sample Survey Organization, Poverty, All India, Social Justice, Political Will, Vision: 2020 for India, all round, elimination, war level.

प्रस्तावना

आज सरकार, राजनीतिक, समाज सुधारक आदि सभी लोग गरीबी के बारे में बात करते हैं। लेकिन सभी को गरीबी के सही अर्थ को बोध नहीं होता है। सामान्यता गरीबा का आशय लोगों के निम्न जीवन स्तर से लगाया जाता है। जीवन स्तर सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाता है। गरीबी दो प्रकार की होती हैं– 1– निरपेक्ष गरीबी 2– सापेक्ष गरीबी

निरपेक्ष गरीबी

''एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी से अर्थ है कि उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि न्यूनतम भरण पोषण स्तर के नीचे स्तर पर रह रहा है।'' इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हें। ''गरीबी से अर्थ मानव की अधारभूत आवश्यकताओं– खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सहायता आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। इस प्रकार गरीबी से अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है।'' इस गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। जो परिवार उस न्यूनतम आय को जुटा पाने में असमर्थ होता है, तब कहा जाता है कि वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे का जीवन–यापन कर रहा है।

सापेक्ष गरीबी

सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित की जाती है। इस सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह स्तर अथवा प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। जिस वर्ग या देश के लोगों का जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा रहता है वे उच्च निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। निर्वाह स्तर को आय एवं उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत में 2017 में प्रति व्यक्ति आय जापान की तुलना में 75 गुना तथा अमेरिका की तुलना में 68 गुना कम थी, तो इसका अर्थ हुआ कि जापान या अमेरिका के औसत नागरिक की अपेक्षा भारतीय नागरिक उतने गुना गरीब हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

भारत में गरीबी की समस्या एवं निवारण की योजनाओं का अध्ययन करने का मूल उद्देश्य भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली जनसंख्या के बारे में देश के जनमानस को अवगत कराना है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से गरीबी उन्मूलन की योजनाओं की त्वरित एवं युद्ध स्तर पर लागू किया जाये। जिससे उनका आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक एवं मानवीय कल्याण किया जा सके। इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊँचा उठे और गरीब जनता अपना–अपना सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो सके।

गरीबी की समस्या

भारत में गरीबी की परिभाषा एवं अनुमान

भारत के कैलोरी के उपभोग को गरीबी के मापदण्ड के रूप में स्वीकार किया गया है। इस मापदण्ड को अपनाया जाना तर्कसंगत भी है क्योंकि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों को न्यूनतम आहार नहीं मिल पाता है।

भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्तियों को गरीब या निर्धन माना जाता है।

गरीबी का अनुमान

योजना आयोग द्वारा निर्धनता अथवा गरीबी की स्थिति का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में किये गये व्यापक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर लगाया जाता है।

विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट

योजना आयोग नें दिसम्बर 2005 में प्रोफेसर सुरेश डी0 तेन्दुलकर की अध्क्षता में देश में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। जिसने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

तेन्दुलकर फॉर्मूले में रेखा आंकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया है तथा प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग–अलग निर्धारित किया गया है।

योजना आयोग नें गृहस्थ उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से 66वें राउण्ड (2009–2010) के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तेन्दुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2009–2010 हेतु गरीबी रेखा तथा गरीबी अनुपात को अद्यतन किया। इसनें गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान लगाया। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 2004–2005 में 32.2 प्रतिशत था वह घट कर 2009–2010 में 29.8% रह गया है।

तेन्दुलकर द्वारा सुझाऐ गये फॉर्मूले पर आधारित जुलाई 2013 में देश में निर्धनता अनुपात निर्धनों की संख्या के सम्बन्ध में वर्ष 2011–2012 के लिए जो आकड़े जारी किये गये, उनके अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षत्रों में 816.8 रुपये प्रति माह व शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह उपभोग को वर्ष 2011–2012 के लिए निर्धनता रेखा की पहचान के लिए निर्धारित किया गया था। इसी आधार पर योजना नें स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 27 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 33 रुपये तक उपभोग करने वाले ही निर्धन है। इस पर सरकार को तीखी आलोचना का समाना करना पड़ा। इस स्थिति से स्वयं को बचाने के लिए योजना आयोग नें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ0 सी0 रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन करके उससे निर्धनता के आकलन की विधि सुझाने की अपेक्षा की।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-11* July- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सी0 रंगराजन विशेषज्ञ समूह नें निर्धनता के मापने हेतु विधि की पुनरीक्षा के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन जुलाई 2014 में सौपा। विशेषज्ञ समूह नें निर्धनता के मापने हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का चयन किया।

1. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर कैलोरी युक्त पौष्टिकता वसा व प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2155 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2090 कैलोरी युक्त भोजन की निर्धनता रेखा का आधार माना गया है। समूह नें यह स्पष्ट किया कि अब लोगों की कार्य संस्कृति बदल गयी है तथा अब लोगों को अपेक्षाकृत कम शारीरिक श्रम करना पड़ता है। 68वें चक्र के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ो के अनुसार इस स्तर पर भोजन प्राप्त करने के लिए 2011–2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में 554 रुपये तथा शहरी क्षेत्रो में 656 रुपये की आवश्यकता थी।
2. वस्त्र, आने–जाने का किराया तथा शिक्षा पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 141 रूपये तथा शहरी क्षेत्रों में 407 रुपये था।
3. अन्य गैर खाद्य मदों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 277 रुपये प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्रों में 344 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की निर्धनता रेखा का आधार माना गया।

इस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये (554+141+277) तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये (656+407+344) प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा माना गया है। इसी आधार पर राज्यवार प्रत्येक राज्य के लिए निर्धनता रेखा आंकलित की गयी है।

सारणी 1 भारत में निर्धनता अनुपात (2009–10 तथा 2011–2012)

विशेषज्ञ समूह तेन्दुलकर

वर्ष	निर्धनत अनुपात			निर्धनों की संख्या (मिलियन)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
2009–10	33.8	20.9	29.8	278.2	76.5	354.7
2011–12	25.7	13.7	21.9	216.7	53.1	269.8
विशेषज्ञ समूह रंगराजन						
2009–10	39.6	35.1	38.2	325.9	128.7	454.6
2011–12	30.9	26.4	29.5	260.5	102.5	363.0

इस तरह सी0 रेगराजन विशेषज्ञ समूह के अनुसार वर्ष 2009–10 में निर्धनता अनुपात 38.2 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2011–12 में 29.5 प्रतिशत रह गया। तेन्दुलकर विशेषज्ञ समूह के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2009–10 में देश में निर्धनता अनुपात 29.8 प्रतिशत था जो घटकर 2011–12 में 21.9 प्रतिशत रह गया है।

अखिल भारतीय निर्धनता रेखा

तेन्दुलकर विशेषज्ञ समूह तथा सी0 रेगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत निर्धनता रेखा को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है–

सारणी 2–अखिल भारतीय निर्धनता रेखा

विशेषज्ञ समूह	वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिदन उपभोग व्यय (रुपये में)		प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय (रुपये)		अखिल भारतीय निर्धनता रेखा (औसत मासिक उपभोग व्यय 5 व्यक्तियों के परिवार हेतु) रुपये में)	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
तेन्दुलकर	2011–12	27.2	33.3	816	1000	4080	5000
	2009–10	22.4	28.7	673	860	3365	4300
रेगराजन	2011–12	32.4	46.9	972	1407	4760	7035
	2009–2010	26.7	39.9	801	1198	4005	5970

भारत में निर्धनता अनुपात तथा निर्धनों की संख्या

विभिन्न अर्थशास्त्रियोंक द्वारा समय–समय पर निर्धनता अनुपात के सम्बन्ध में अनुमान लगाये गये हैं। वर्ष 1993–94 से 2011–12 तक के निर्धनता अनुपात एवं निर्धनता अनुपात एवं निर्धनो की संख्या को निम्नवत् प्रकट किया जा सकता है।

सारणी 3– भारत में निर्धनों का अनुपात तथा निर्धनों की संख्या

वर्ष	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत			निर्धनों की संख्या (करोड़)		
	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	अखिल भारतीय	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	अखिल भारत
1993–94	50.1	31.8	45.3	32.86	7.45	40.37
2004–05	41.8	25.7	37.2	32.63	8.08	40.71
2009–10	33.8	20.9	29.8	27.82	7.64	35.47
2011–12	25.7	13.7	21.9	21.65	5.28	26.93

तेन्दुलकर समिति						
2011–12 रेगराजन समिति	30.9	26.4	29.5	26.05	10.25	36.30

भारत में निर्धनता अनुपात वर्ष 1993–94 में 45.3 प्रतिशत था जो घटकर वर्तमान में रंगराजन समिति के अनुसार 29.5 प्रतिशत रह गया है। श्री रंगराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा विकसित निर्धनता मापन विधि के अनुसार देश में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाले राज्य है– छत्तीसगढ़ (47.9 प्रतिशत), मणिपुर (46.7 प्रतिशत), ओडिशा (45.9 प्रतिश), मध्य प्रदेश (44.3 प्रतिशत), तथा झारखण्ड (42.4 प्रतिशत)। सबसे कम निर्धनता वाले राज्य हैं– गोवा (6.3 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश (10.9 प्रतिशत), केरल (11.3 प्रतिशत), पंजाब (11.3 प्रतिशत) तथा हरियाणा (12.5 प्रतिशत)। सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला केन्द्रशासित क्षेत्र दादरा एवं नगर हेवली (35.6 प्रतिशत) तथा सबसे कम निर्धनता वाला केन्द्रशासित क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार (6.0 प्रतिशत) हैं उत्तर प्रदेश में निर्धनता अनुपात 39.8 प्रतिशत है जो अखिल भारत स्तर से अधिक है। तेन्दुलकर विशेषज्ञ समूह द्वारा विकसित निर्धनता मापन विधि के अनुसार देश में सर्वाधिक निर्धनता वाले राज्य हैः– बिहार (33.7 प्रतिश) ओडिसा (32.6 प्रतिशत), असम (31.9 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (31.7 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश (29.4 प्रतिशत)

समस्या के कारक

भारत में गरीबी के कारण

भारत में गरीबी के निम्न प्रमुख कारण है। रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि, निम्न आय अर्जक परिसम्पत्तियां, कमाई या अर्जन का स्तर निम्न, जनसंख्या में भारी वृद्धि, दोषपूर्ण विकास रणनीति, मुद्राप्रसार और मूल्यवृद्धि, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आर्थिक असमानता, तकनीकी ज्ञान का अभाव, भौगोलिक क्षेत्रों की असमानता।

सामाजिक कारण

भारत में प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएँ गरीबी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। समाज में व्याप्त जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकार का नियम, निरक्षरता, अज्ञानता भाग्यविधाता एवं धार्मिक रूढ़िवादिता लोगों को नये विचार तथा तकनीकी को अपनाने से रोकती है। इसके अभाव में लोग अपनी आय को बढ़ा लेने में असफल हो जाते हैं और दरिद्रता के लाल चक्र में चले जाते हैं। सामाजिक उत्तरादायित्व निभाने एवं झूठी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने हेतु लोग फिजूल खर्चा करते हें और निर्धन बने रहते हैं।

समस्या निवारण कार्यक्रम

भारत में गरीबी दूर करने के उपाय

आर्थिक विकास की गति को तेज करना, कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास, कृषि विकास, ग्रामीण क्षेत्रा में सार्वजनिक निर्माण कार्य, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, रोजगारपरक शिक्षा प्रणाली, तकनीकी शिक्षा प्रणाली का अत्याधिक विकास, पुरानी शिक्षा प्रणाली को रोजगार से जोड़ना, आर्थिक असमानता को दूर करना, सर्वांगीण विकास पर जोर देना, सभी धर्मों को समान रूप से महत्व एवं अवसर देना आदि। इन सुझावों पर यदि समान रूप से निष्पक्षता के साथ कार्य करने पर निर्धनता दूर करने में अवश्य सहायता मिलेगी।

भारत में निर्धनता दूर करने के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम या योजनाएँ (केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा)

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए के लिए निम्नलिखित योजनाएँ चलायी जा रही है। कुछ योजनाएँ केवल केन्द्र सरकार द्वारा एवं कुछ योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा चलायी जाती है, कुछ केवल राज्य सरकार द्वारा चलायी जाती है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा)

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले स्त्री/पुरूष के लिए है, जो परिवार के बालिग या पौढ़ सदस्यों के लिये हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी 1/3 है। एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारन्टी है। मनरेगा पहले चरण में 2 फरवरी 2006 से 200 जिलो में अधिसूचित किया गया और वित्तीय वर्ष 2007–2008 में इसे 130 और जिलो में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इस अधिनियम के अन्तर्गत देश के सभी जिले लाये गये हैं। इस तरह यह योजना देश के सभी 684 जिलो के 6863 विकास खण्डों की 262839 ग्राम पंचायतों में लागू है। मनरेगा के फलस्वरूप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आजीविका संसाधन का आधार सुदृढ़ हुआ है। मनरेगा नें कृषक मजदूरों की सौदाबाजी की क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, जिससे कृषि सम्बन्धी मजदूरी बढ़ी है। आर्थिक परिणामों में सुधार हुआ है तथा विपत्ति के दौरान होने वाले उपवास में कमी आयी है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

यह योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारम्भ की गयी थी। सब्सिडी के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों मे संगठित करके मरीबी रेखा के नीचे से ऊपर लाना था। योजना के अन्तर्गत सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती थी। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांगो के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गयी है, जो अधिकतम 10,000/–रु0 है। निर्धारित की गयी थी। स्व–सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती थी। जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये था। प्रति व्यक्ति 10,000/–रु0 इसमें से जो भी कम हो, निर्धारित की गयी थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनःसंरचना पुनर्गठन की गयी है। राष्ट्रीय आजीविका

मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार तथा कौशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाकर गरीबी को घटाना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

25 दिसम्बर 2000 को आरम्भ की गयी 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पात्र असम्बद्ध क्षेत्रों को सभी मौसमों में सड़क से जुड़े रहने की व्यवस्था करना है।

इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्यों के बीच खर्च की भागीदारी 75:25 के अनुपात में की जाती है। संघ राज्य केन्द्रों के मामले में पूरा निधिकरण केन्द्र द्वारा किया जाता है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास के लिए आरक्षित वर्ग है। जो परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुक्त हुए बन्धुआ मजदूर।

स्वर्ग जयन्ती शहरी रोजगार योजना

शहरी क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिए 1 दिसम्बर 1977 से लागू यह योजना पूर्व में चल रही तीन योजनाओं को सम्मिलित करके बनायी गयी है। सितम्बर 2013 में इस योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों और अन्य रोजगारों के लिए लाभप्रद योजना उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से आरम्भ है। इसका मूल उद्देश्य 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे शहरों के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्था के लिए ऋण 2 लाख रूपये तथा उद्योग के लिए 5 लाख रुपये तक है। इसमें अधिकतम 12500 रुपये प्रति उद्यमी है। 15 अगस्त 2008 से प्रारम्भ किये गये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का भी समन्वय कर दिया गया था।

अन्नपूर्णा योजना

1 अप्रैल 2000 से प्रभावी इस योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के असहाय वृद्ध नागरिक, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 10 किग्राम0 खाद्यान्न प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है।

जनश्री बीमा योजना

समाज के गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के 10 अगस्त 2000 से आरम्भ इस योजना के अन्तर्गत 18 से 60 आयु वर्ग के लाभार्थियों को 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। लाभार्थी को 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। लाभार्थी को वास्तविक मृत्यु की दशा में 30,000/–रु0 दुर्घटनावश मृत्यु/स्थायी विकलांग के लिए 75000 रुपये तथा आंशिक विकलांगता के लिये 37500 रुपये का बीमा कवच देने का प्रावधान है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थी प्रीमियम की केवल आधी राशि का भुगतान करेगें।

अन्त्योदय अन्न योजना

दिसम्बर 2000 को शुरू की गयी योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को खाद्यान्न उपलब्ध इस योजना में देश के 2 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किग्रा0 अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले गेहूँ एवं चावल का केन्द्रीय निर्माण मूल्य क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये प्रति किग्रा0 है।

बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

दिसम्बर 2001 में शुरू की गयी इस योजना का मूल उद्देश्य शहरों की गन्दी वस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासीय यूनिटों का निर्माण एवं उन्नयन करना।

जय प्रकाश नारायण गारन्टी योजना

केन्द्र सरकार नें श्री जयप्रकाश नारायण के जन्म शताब्दी वर्ष में देश के सर्वाधिक निर्धनता वाले जिलों के बेरोजागार को रोजगार की गारन्टी देने के लिए जयप्रकाश नारायण रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की गयी।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अगस्त 2004 में शुरू की गयी, इस योजना के अन्तर्गत 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अकेला या पत्नि के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है। योजना के अनतर्गत जमा राशि पर 9 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होगी और 1000 रुपये के गुणांक में 15 लाख रुपये तक की अधिकतम राशि जमा की जा सकती है। योजना के अन्तर्गत जमा में अब 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर कोई कर कटौती (टी0डी0एस0) नहीं की जायेगी।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन

देश 63 बेहाल शहरों का एक लाख करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसम्बर 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का विधिवत शुभारम्भ किया गया। इस मिशन में शहरी गरीबों को रियायती दर पर भूमि का अधिकार देने के साथ भवन निर्माण की अनुमति वाले जटिल नियमों को सरल बनाना, कृषि भूमि और गैर कृषि प्रयोग के बदलने के कानूनों को नरम करना, सम्पत्ति का मालिकाना हक लागू करना।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार केन्द्र सरकार द्वारा 19 नवम्बर 2007 को किया गया। विस्तारीकरण के अन्तर्गत अब इसका नया नाम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया है।

यह योजना निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों के लिए लागू की गयी है। पहले राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के

अन्तर्गत निर्धन परिवारों के बेसहारा वृद्धजन ही मासिक पेंशन के हकदार थे, लेकिन अब नई योजना में बेसहारा शब्द हटा दिया गया है, इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा 200–200 रुपये प्रतिमाह या 400 रुपये प्रतिमाह लाभार्थी को दिये जाते हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना 2013

देश में व्याप्त गरीबी, भूख एवं कुपोषण को दृष्टिगत रखते हुए जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने, सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त भोजन की सुलभ्यता सुनिश्चित करने तथा खाद्य एवं पोषण सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया गया है। यह योजना मूलतः 3 जुलाई 2013 को जारी राष्ट्रीय खाद्य अध्यादेश 2013 द्वारा जो 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हुआ। इस योजना के लागू होने से देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात 82 करोड़ लोग भूख और कुपोषण से मुक्त होने का अनुमान है। इस कानून के अनुसार गरीबों को प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति 5 किग्राम0 अनाज सस्ती दर पर मिलेगा। वितरित किये जाने वाले चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, का मूल्य 3 रूपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये होगा।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता के उपरान्त देश में गरीबी निवारण हेतु सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गये हैं, उनका प्रभाव दिखाई देने लगा है तथा वर्ष प्रतिवर्ष गरीबी के आँकड़ों में आंशिक सुधार परिलक्षित होता है। लोगों की आय बढ़ रही है। देश में मध्यम वर्ग का आकार बढ़ रहा है। हर वर्ष लगभग 4 करोड़ व्यक्ति मध्यम वर्ग में शामिल हो रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार वर्तमान में 30 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों में से लगभग एक–तिहाई विगत 10 वर्षों में गरीबी से उठकर मध्यम वर्ग में पहुँचे हैं। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद से ही आर्थिक वृद्धि दर आठ, नौ, प्रतिशत के बीच रही है। इससे समवृद्धि के स्तर में वृद्धि तो हुई है, परन्तु अधिक जनसंख्या तथा सम्पत्ति के असमान वितरण के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं।

विजनः 2020 फॉर इण्डिया

देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा में सुधार करने की दृष्टि से विजनः 2020 फॉर इण्डिया नाम से एक महत्वाकांक्षी नीतिगत दस्तावेज केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है। जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अन्दर गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोगों की विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा स्थिति में सुधार करना है। ताकि अगले बीस वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे का कलंक समाज से पूरी तरह मिटाया जा सके।

सुझाव

विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि योजनाएँ लागू करने से पहले आधारभूत संगठन की संरचना तैयार करना कि किस तरह से योजना को कार्य रूप प्रदान किया जायेगा। नहीं तो योजना आधारभतूत संगठन के बिना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को न मिलकर अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ ले लेते हैं। यदि कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना है तो सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कठोर नियम बनाने होगें, तभी इन योजनाओं का वास्तविक धरातल पर असर दिखायी देगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *व्यावसायिक पर्यावरणः– साहित्य भवन पब्लिकेशन– आगरा*
2. *भारतीय अर्थव्यवस्था– संजय साहित्य भवन पब्लिकेशन– आगरा*
3. *व्यावसायिक पर्यावरण–SCORER-SBP.D Publishing House Agra.*
4. *उपकार सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन– उपकार प्रकाश्कान आगरा*
5. *पर्यावरण अध्ययन–SBPD Publishing House Agra.*
6. *भारत का संविधान– पेंटिस हाल आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली*
7. *प्रतियोगिता दर्पण समसाजिक वार्षिकी 2018*
8. *जनसंख्या, विकास एवं पर्यावरण प्रदूषण की चुनौतियाँ– साहित्य भवन संस्थान– आगरा*
9. *मानव संसाधन प्रबन्ध– साहित्य भवन प्रकाशन– आगरा*
10. *Lucents सामान्य ज्ञान– Lucents Publication Patna*
11. *करेन्ट अफेयर्स वार्षिकांक– 2020– प्रयाग पब्लिकेशन जार्जटाउन, प्रयागराज (इलाहाबाद)*
12. *Public Finace- SB PD Pulblishing House Agra.*